विद्युत लोकपाल, रायपुर (छ.ग)

(पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार सोनी)

प्रकरण क्रमांक 20/2026

संस्थित दिनांक 27.03.2026

श्री रविकांत भागवत, पिता स्व.श्री बी.जी. भागवत
निवासी प्लाट नं. आई 12 सेक्टर 2,
अग्रोहा सोसायटी, रायपुर (छ.ग.) .... अभ्यावेदक/अपीलार्थी

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता, नगर संभाग (पश्चिम)
छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड
रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) .... अनावेदक/उत्तरवादी

आदेश

(आज दिनांक 05.08.2026 को पारित)

अभ्यावेदक/अपीलार्थी द्वारा यह अपील विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर के द्वारा प्रकरण क्र. 3/2026 पक्षकार रविकांत भागवत विरुद्ध कार्यपालन अभियंता, नगर संभाग (पश्चिम) छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड, रायपुर ने पारित आदेश दिनांक 13.02.2026 से व्यथित होकर उक्त आदेश को निरस्त कर, प्रस्तुत अभ्यावेदन/अपील को स्वीकार कर अभ्यावेदक/अपीलार्थी के द्वारा उत्तरवादी विद्युत कंपनी के पास अपत्ति सहित जमा की गई राशि को ब्याज सहित वापस प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य इन तथ्यों पर विवाद नहीं है कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी. लिमिटेड का कर्मचारी रहते हुये, चीफ इंजीनियर के पद पर पदस्थ रहते हुए, अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्र. 1002132532 से संबंधित

विद्युत बिल में उक्त विद्युत कंपनी द्वारा प्रदत्त 50 प्रतिशत की राशि का छूट का लाभ लिया जा रहा था। माह दिसम्बर 2019 में सेवानिवृत्ती के उपरांत भी अभ्यावेदक/अपीलार्थी निरंतर 50 प्रतिशत की राशि का छूट का लाभ ले रहा था, जिसके संबंध में उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा 86,638/– रु. की राशि की रिकवरी निकाली गई है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने उक्त राशि को आपत्ति सहित भुगतान कर दिया है। अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने इस तथ्य को भी विवादित नहीं किया है कि सेवानिवृत्त विद्युत विभाग के कर्मचारियों को विद्युत बिल में छूट की पात्रता केवल 25 प्रतिशत की है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा अभ्यावेदक/अपीलार्थी का यह कहना है कि उसके द्वारा विद्युत कंपनी को आपत्ति सहित भुगतान की गई राशि 86,638/– रु. विधिक रूप से देय नही है। उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा उसे सेवानिवृत्ति उपरांत से अर्थात जनवरी 2020 से वर्तमान विवादित विद्युत देयक के पूर्व तक कभी भी बकाया राशि का देयक जारी नही किया गया उक्त राशि प्रथम बार दिनांक 27.11.2025 को पत्र के द्वारा मांगी गई अस्तु उक्त राशि विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अधीन पूर्णतः कालबाधित होने से वसूली योग्य नही है। उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किये जाने के कारण वह छ.ग. शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसिडी से भी वंचित हो गया। अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने अपने सेवाकाल के दौरान कभी भी विद्युत देयक में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया है, उत्तरवादी विद्युत कंपनी को उसके नियोक्ता होने के कारण उसकी सेवानिवृत्ति की जानकारी थी इस लिये 50 प्रतिशत छूट की राशि को 25 प्रतिशत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं उत्तरवादी विद्युत कंपनी का था। उत्तरवादी विद्युत कंपनी की उदासीनता के लिये अभ्यावेदक/अपीलार्थी को दोषी नही ठहराया जा सकता। यदि

अभ्यावेदक/अपीलार्थी पर कोई राशि भी निकलती भी हो तो वह कालबाधित होने के कारण वसूल किये जाने योग्य नहीं है।

4. उत्तवादी विद्युत कंपनी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का जवाब स्वीकृत तथ्यों के अलावा इस प्रकार दिया गया है कि चूँकि अभ्यावेदक/अपीलार्थी विद्युत विभाग का अधिकारी रहा है, इसलिये उसे विद्युत बिल की वसूली के नियमों और प्रक्रिया की जानकारी थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता अभ्यावेदक/अपीलार्थी को इस बात की भी जानकारी थी सेवानिवृत्ति के उपरांत छूट की राशि 25 प्रतिशत हो जावेगी। विवादित राशि विधि अनुसार वसूलनीय है, ऑडिट जांच उपरांत जारी डिमांड नोट दिनांक 27.11.2025 को ही प्रथम संज्ञान दिवस माना जावेगा इसलिये परिसीमा काल की गणना भी इसी दिवस से शुरू मानी जावेगी। विद्युत फोरम का आदेश तर्क संगत एवं विधि पूर्ण है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अभ्यावेदन/अपील को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. मामले की समुचित विवेचना और उसके निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभ्यावेदक/अपीलार्थी अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्र. 1002132532, पेटे उत्तरवादी विद्युत कंपनी को जमा की गई राशि 86,638/– (छियासी हजार छः सौ अड़तीस मात्र) को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है?

विवेचना एवं निष्कर्ष

6. उल्लेखित राशि को वापस प्राप्त करने के संबंध में अभ्यावेदक/अपीलार्थी का प्रमुख तर्क यह कि उक्त राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अधीन कालबाधित होने के कारण उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा वसूल किये जाने योग्य नही है।

सर्वप्रथम हम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधानों का अवलोकन करते है तद्परांत उसका इस मामले के संदर्भ में अर्थान्वयन करते है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) इस प्रकारः—

Section 56. (Disconnection of supply in default of payment): --

(1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or any sum other than a charge for electricity due from him to a licensee or the generating company in respect of supply, transmission or distribution or wheeling of electricity to him, the licensee or the generating company may, after giving not less than fifteen clear days' notice in writing, to such person and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit, cut off the supply of electricity and for that purpose cut or disconnect any electric supply line or other works being the property of such licensee or the generating company through which electricity may have been supplied, transmitted, distributed or wheeled and may discontinue the supply until such charge or other sum, together with any expenses incurred by him in cutting off and reconnecting the supply, are paid, but no longer:

Provided that the supply of electricity shall not be cut off if such person deposits, under protest, -

(a) an amount equal to the sum claimed from him, or

(b) the electricity charges due from him for each month calculated on the basis of average charge for electricity paid by him during the preceding six months, whichever is less, pending disposal of any dispute between him and the licensee.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been

shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

7. विधि का अर्थान्वयन के सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि यदि किसी धारा (Section) के अर्थान्वयन के संबंध में कोई संदिग्धता हो तो External Aid के रूप में उस धारा (Section) का शीर्षक से सहायता प्राप्त की जा सकती है। उक्त धारा (Section) 56 का शीर्षक "Disconnection of supply in default of payment" है। जिससे यह इंगित होता है कि उक्त धारा (Section) में जो प्रावधान दिये गये है वह विधिपूर्ण देय रकम का संदाय न करने पर विद्युत कनेक्शन काटे जाने के संबंध में है। उक्त उपबंध की अंतरवस्तु का सार देय रकम की वसूली के संबंध में नही है अपितु एक विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में विद्युत कनेक्शन काटे जाने के संबंध में है।

8. यदि किसी उपभोक्ता से विद्युत वितरण कंपनी को कोई राशि लेनी हो तो उसे उपभोक्ता से वसूल करने के कई रीति हो सकती है जैसे सिविल कोर्ट में वाद दायर कर, ऐसे ही रीतियों में से एक रीति विद्युत कनेक्शन काटने का भी है जिसके संबंध में विद्युत अधिनियम की धारा 56 में ऊपर उल्लेखित अनुसार प्रावधान किये गये है। ऊपर उल्लेखित धारा 56 की शब्दावली में यह भी है कि "and without prejudice to his rights to recover such charge or other sum by suit" इस शब्दावली से भी यह इंगित होता है कि विद्युत वितरण कंपनी को धारा 56 में उल्लेखित रीति के अलावा अन्य रीतियों से भी देय रकम को वसूल करने का अधिकार है। धारा 56(2) में जो यह उल्लेखित है कि ''Under this section (इस धारा के अधीन)'' का अर्थ भी यही निकलता है कि उक्त उपबंध में दो वर्ष की कालावधि के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह इस धारा के अधीन विद्युत प्रदाय को काटने या न काटने के संबंध में है। उक्त निर्वचन से

यह स्पष्ट होता है कि दो वर्ष की कालावधि के संबंध में धारा 56(2) में जो नियम उल्लेखित है वह तभी लागू होगा जब विद्युत वितरण कंपनी धारा 56 के अधीन कार्यवाही कर रहा हो। यदि विद्युत वितरण कंपनी धारा 56 से पृथक देय रकम वसूलने के संबंध में कोई कार्यवाही करता है तो उसमें धारा 56(2) में उल्लेखित दो वर्ष की कालावधि का प्रतिबंध नही है।

9. इस मामले अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने आपत्ति सहित देय राशि जमा कर दी है। इस मामले में इस बात का कोई प्रमाण नही है कि उत्तरवादी विद्युत कंपनी ने देय राशि की वसूली हेतु धारा 56 के अधीन कार्यवाही की थी। फोरम के अभिलेख में उत्तरवादी विद्युत कंपनी के द्वारा अभ्यावेदक/अपीलार्थी को जो नोटिस दी गई है उनमें कही पर भी यह उल्लेखित नही है कि देय राशि अदा न करने पर विद्युत कनेक्शन काट दी जावेगी। उक्त नोटिसों में केवल देय राशि का शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नही है कि उत्तरवादी विद्युत कंपनी द्वारा उपभोक्ता से वसूली की गई राशि कालाबाधित है।

10. अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में यह भी तर्क किया है कि उत्तरवादी विद्युत कंपनी की उदासीनता के लिए उसे उत्तरदायी नही ठहाराया जा सकता। मैं इस तर्क से भी संतुष्ट नही हूँ। उदासीनता किसी को अधिकार प्रदान नही करती। उदासीनता जिसका परिणाम विलंब होता है का प्रभाव क्रिया–प्रतिक्रिया की परिसीमा के संबंध में होता है जिसके संबंध में धारा 56(2) से भिन्न अभ्यावेदक/अपीलार्थी का कोई तर्क आधार नही है। जहां तक देय राशि को एकमुश्त वसूल किये जाने कि वैधता का प्रश्न है, अब वह इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि उक्त राशि एकमुश्त जमा की जा चुकी है वैसे भी किश्तों में राशि अदा करने का कोई वैंधानिक अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त नही है, यह केवल एक

सुविधा है जो विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं को प्रदान कर सकती है।

उपरोक्त विवेचन से मैं उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह देता हूँ कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्र. 1002132532, पेटे उत्तरवादी विद्युत कंपनी को जमा की गई राशि 86,638/- (छियासी हजार छः सौ अड़तीस मात्र) को वापस प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

11. उपरोक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 13/02/2026 के द्वारा अभ्यावेदक/अपीलार्थी के निवेदन को खारिज कर कोई वैंधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि नही की है। अस्तु मैं फोरम के उक्त आदेश को पुष्ट करते हुये प्रस्तुत अपील खारिज करता हूँ।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया	आदेश पारित किया गया
-सही- (एस.के. सोनी) विद्युत लोकपाल	-सही- (एस.के. सोनी) विद्युत लोकपाल